कॉलेज कोड-2401

श्री महेन्द्रपाल शास्त्री महाविद्यालय

(सम्बद्ध-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़)

अलीगढ़—202001

प्रवेश नियमावली एवं विवरणिका

Rs. 200/-

visit us : www.smpscollege.in, E-mail: smpsd1116@gmail.com

प्रकाशक :

डॉ. सरोज कुमार कटियार
(एम.ए., पी–एच.डी.)
प्राचार्य
श्री महेन्द्रपाल शास्त्री महाविद्यालय, अलीगढ़
मो० : 9627989663

Website : www.smpcollege.in
E-mail : smpsd1116@gmail.com
Contact : 9219129457

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Website : www.rmpssu.ac.in
E-mail : vc.rmpssu@gmail.com
Phone : 7068553057

छात्र/छात्राओं में विशेष रूचि जाग्रत करने हेतु वार्षिक परीक्षाफल वितरण करते समय स्वतन्त्रता एवं गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्राओं एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले छात्र/छात्राओं को पारितोषिक प्रदान किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी पुत्र/पुत्री को प्रोत्साहित करें तथा उसके व्यवहार एवं प्रगति पर ध्यान दें।

कॉलेज संस्थापिका

माता जी - श्रीमती विमलेश शास्त्री जी

कॉलेज संस्थापक

पिता जी - श्री राजकुमार शास्त्री जी

संयोजक

श्री प्रदीप शर्मा जी

संयोजक

श्री हरिओम शर्मा जी

विनम्र निवेदन

आधुनिक युग में शिक्षा मानव जीवन की अनिवार्यता बन गई है। शिक्षित व्यक्ति की सभ्यता व संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखता है तथा समाज व राष्ट्र को गतिशील रखने में सहायक सिद्ध होता है, वर्तमान में विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर कल का सुन्दर भविष्य निर्भर है तथा देश की स्वतंत्रता अवलम्बित है। बालक/बालिका 6 घण्टे विद्यालय में रहने के बाद दिन के शेष 18 घण्टों में घर–आँगन, आस–पड़ोस व बाहर के वातावरण में रहते है। फलस्वरूप छात्र/छात्राओं के निर्माण पर भी बाह्यय क्षेत्रों व सम्पर्क–सूत्रों का अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए अन्यथा छात्र/छात्राओं को बड़ी–बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आज विद्यालय सामुदायिक केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा पठन–पाठन के साथ–साथ सभी सह–प्रवृत्तियों का संचालन कर छात्र/छात्राओं में अन्तर्निहित शक्तियों में विकास के अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि विद्यार्थी प्रतिभायें खेल के मैदान, सांस्कृतिक रंग–मंच, पत्रिका कलेवर, स्काउटिंग प्रांगण, विज्ञान परिषद प्रयोगशालाकक्ष एवं कलास्थलों पर उभरती हुई दीख पड़ती है। ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियायें विद्यार्थी जीवन को परिष्कृत करती है। यदि आप चाहें तो अपनी बालिकाओं को भी अनमोल रत्न व देश का उत्तरदायी नागरिक बना सकते हैं। आपकी नियमित जागरूकता व त्याग भावना छात्र/छात्राओं के जीवन को नया मोड़ दे सकती है तथा प्रतिदिन बदलती दुनिया में उसके जीवन में आत्म–बल का संचार कर सकती हैं आपसे अनुरोध/आग्रह है कि आप अपने अवकाश के क्षणों में छात्र/छात्राओं से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त करें।

यह विद्यालय–परिवार आपकी छात्र/छात्राओं की प्रगति एवं सुखी भविष्य की आकांक्षा के साथ आपके समस्त परिवार की समृद्धि व उन्नति की कामना करता है। कृपया नयी शिक्षा को सफलीभूत बनाने के लिए सदैव सहयोग दें व सहायोग लें– इसी भावना व कामना के साथ।

अलीगढ़
जून 2025

निवेदक:
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
प्रबन्धक/सचिव

प्राचार्य की कलम से

कुछ स्वार्थी विद्वानों द्वारा प्रचारित किया गया है कि ज्ञान से शक्ति पैदा की जाती है और शक्ति के द्वारा धन अर्जित किया जाता है। लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में उच्च कोटि के गुण पैदा करना है, उन्हें बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा सहनशील बनाना है, उच्च शिक्षा द्वारा उन्हें एक उच्च कोटि का नागरिक बनाना है। इसके अलावा उच्च शिक्षा का उद्देश्य उन्हें आजीविका कमाने के योग्य बनाना भी है। लेकिन पिछले दो दशक में देश ने करवट बदली है और शिक्षा द्वारा नौकरी पाना कठिन हो गया है। ठीक है उच्च शिक्षा द्वारा समाज से गरीबी दूर की जा सकती है, बीमारियों से लड़ा जा सकता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बिगड़ते हुए आर्थिक सन्तुलन के समय कोई शिक्षाविद् क्या करे? राजनैतिक चाल के सामने क्या वह अपने को लाचार महसूस नहीं करता?

मेरा मानना है कि स्थिति के सामने घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान महत्वपूर्ण है और प्रश्न यह है कि क्या मानवता को ऐसे ही गड्ढे में छोड़ दिया जाये? क्या अच्छे भविष्य की धारणा और आशा को त्याग दिया जाये? नहीं उच्च शिक्षा के द्वारा आनन्द, सुरक्षा, ज्ञान और बुद्धिमता प्राप्त की जा सकती है। मैं नहीं जानता कि कौन सा विद्यार्थी किस मार्ग पर चलेगा? उपनिषदों के अनुसार दोनों मार्ग खुले हैं – सुख का और दुःख का, अच्छाई का और बुराई का, गुण और दोष का। वर्तमान आर्थिक मंदी को देखते हुए किसी के मन में भी भय पैदा होना स्वाभाविक है लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले और बाद में यूरोप के बहुत सारे देशों में लोगों ने महान आर्थिक और नैतिक उथल–पुथल का सामना किया और समस्याओं का तार्किक समाधान ढूंढा और सफल भी हुए। इसी आशा के साथ हमें शिक्षा मंदिर में प्रवेश पाना है अंधेरा है लेकिन रोशनी की पूर्ण आशा है। निराशा है लेकिन पूर्ण भयभीत होने की घड़ी नहीं आयी है। पिछले 50 वर्षों में देश के आर्थिक विकास ने हमारे मनोबल को गिराया नहीं है। हम अपने देश को नयी योजनाओं के माध्यम सेविनाश लीला से बचा सकते है – इसी आशा के साथ इस शिक्षा मंदिर में प्रवेश लें। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप मानव मूल्यों की रक्षा कर सकेंगे।

अलीगढ़
जून 2025

डॉ० सरोज कुमार कटियार
प्राचार्य

कॉलेज का संक्षिप्त परिचय

प्रकृति की अद्भुत धरोहर पनैठी छर्रा रोड़, गांव भवनखेड़ा शेखाझील, अलीगढ़ के तट पर वृक्षवन में पक्षियों के कलख के बीच व मंत्रोचार के साथ अलीगढ़ नगर की परम यशस्वी साध्वी दानवीर परमपूज्य माता जी श्रीमती विमलेश शास्त्री पत्नी स्व0 श्री राजकुमार शास्त्री इस्माइलपुर, अतरौली, (अलीगढ़) ने 26 जून 1999 को माँ सरस्वती की अर्चना में श्री महेन्द्रपाल शास्त्री प्राथमिक विद्यालय के रूप में एक नन्हा पौधा रोपित किया था। जिसे सन् 2000 में प्राइमरी स्तर की सरकारी स्थाई मान्यता प्राप्त हुई। वही पौधा शिक्षा–प्रेमियों के सतत् प्रयास और सहायोग से समयानुसार पल्ल्वित और पुष्पित होकर आज अपनी सुगन्ध और छाया से समाज को नई दिशा एवं संरक्षण प्रदान कर रहा है और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

प्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार शर्मा जी के अथक प्रयासों व सच्ची लगन से विद्यालय दिनों–दिन आगे बढ़ रहा है। इस विद्यालय को वर्ष 2001–02 में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद के हाईस्कूल की मान्यता मिली तत्पश्चात् इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता वर्ष 2003–04 में प्राप्त हुई। तथा छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्व विद्यालय आगरा द्वारा वर्ष 2018–19 में बी0ए0, बी0एस–सी की मान्यता प्राप्त हुई इसके तत्पश्चात विश्व विद्यालय द्वारा 2019–20 में बी0कॉम की मान्यता छात्र/छात्र/छात्राओं के लिए प्राप्त हुई। प्रबन्ध समिति के अथक प्रयासों से विद्यालय में छात्र/छात्र/छात्राओं के चारित्रिक विकास हेतु स्काउट गाइड प्रशिक्षण व खेलकूद प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। विद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था भी उपलब्ध है विद्युत न होने पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में अलग 'कम्प्यूटर लैब' का निर्माण जून 2020 में कराया गया है जिसमें एक साथ 30 छात्र/छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। प्रत्येक कक्षा में प्रतिदिन कम्प्यूटर क्लास की व्यवस्था की गई है।

छात्र/छात्र/छात्राओं के बौद्धिक विकास हेतु शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त अनेक शिक्षणेत्तर क्रिया कलाप भी आयोजित किये जाते हैं। जिसमें वाद–विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम निबन्ध एवं काव्य पाठ तथा विज्ञान प्रदर्शनी आदि उल्लेखनीय है।

संकाय (Faculty)

कला संकाय (Art Faculty)
बी.ए.

बी.ए. में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(अ) अनिवार्य विषय –

1.	शारीरिक शिक्षा	2.	राष्ट्रीय गौरव	3.	पर्यावरण अध्ययन
4.	सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा				

(ब) ऐच्छिक विषय – निम्नांकित विषयों में से कोई तीन विषयों का चयन करना हागा –

1.	हिन्दी	2.	अंग्रेजी	3.	समाजशास्त्र
4.	राजनीति शास्त्र	5.	भूगोल	6.	अर्थशास्त्र
7.	इतिहास				

विशेषः–

1. कोई भी छात्र/छात्राऐं एक साथ दो से अधिक साहित्य विषय नहीं ले सकते है।
2. कोई भी छात्र/छात्राऐं एक साथ दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय नहीं ले सकते है।
3. भूगोल और इतिहास में से केवल एक ही विषय लिया जा सकता है।
4. एक बार विषयों का चयन करने के बाद विषय परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

छात्र/छात्राऐं उन्हीं विषयों का अध्ययन करेगी जिन विषयों में उसने प्रथम/द्वितीय वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

विज्ञान संकाय (Science Faculty)
बी.एस–सी.

(अ) अनिवार्य विषय –

1.	शारीरिक शिक्षा	2.	राष्ट्रीय गौरव	3.	पर्यावरण अध्ययन

(ब) ऐच्छिक विषय

1. मैथ ग्रुप – भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।
2. बायोग्रुप – जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान।

विशेषः–

1. अन्य ग्रुप पर प्रवेश समिति विचार कर सकती है।
2. एक बार चयनित विषय वर्ग का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

छात्र/छात्राऐं उन्हीं विषयों का अध्ययन करेगे/करेगीं जिन विषयों में उसने प्रथम/द्वितीय वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

संकाय (Faculty)

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty)
बी.कॉम.

(अ) अनिवार्य विषय –
1. शारीरिक शिक्षा 2. राष्ट्रीय गौरव 3. पर्यावरण अध्ययन
निम्नांकित तीन विभागों में बी.काम. करने की सुविधा है :

(ब) 1. व्यवसाय प्रशासन (Business Administrations)
2. लेखा एवं विधि (Account and Law)
3. व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र (Applied Business Economics)

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

छात्र/छात्राऐं उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे/करेगीं जिन विषयों में उसने प्रथम/द्वितीय वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

पाठ्यक्रम शुल्क (Course Fee)

संकाय	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु स्थान	शुल्क
कला	बी.ए.	420	7000
विज्ञान	बी.एस–सी.	360	8000
वाणिज्य	बी.कॉम	180	7,500

विशेषः–

उपरोक्त केवल शिक्षण शुल्क है। परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क विश्वविद्यालय/उ0प्र0 सरकार के नियमानुसार अलग से देय होंगे।

प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण

प्रवेशार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. विवरण पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें तथा इसमें वर्णित नियमों का पालन करें।
2. समस्त प्रवेश डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रवेश नियमावली और कॉलिज में विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान तथा आरक्षित स्थान सारिणी के आधार पर किए जायेंगे। अतः छात्र/छात्राएँ सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली का अध्ययन करें, तत्पश्चात् प्रवेश आवेदन पत्र साफ–साफ भरकर प्रस्तुत करें।
3. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाऐं एवं तिथियों की विज्ञप्ति कॉलिज सूचना पट एवं कॉलिज वेबसाइट पर ही सूचित की जायेंगी। अलग से कोई प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। छात्र/छात्राऐं समय–समय पर सूना पट देखते रहें, जिसकी जिम्मेदारी छात्र/छात्राओं की होगी।
4. प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय में स्थान सीमित हैं।
5. यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं तो साक्षात्कार के समय अपनी जाति का मूल प्रमाण–पत्र अपने साथ अवश्य लाएँ। लेखा विभाग से निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त कर उसे अवश्य जमा कर दें, ताकि प्रवेश शुल्क जमा करने पर आप प्रवेश प्राप्त कर सकें तथा छात्रवृत्ति स्वीकार होने पर बाद में शुल्क भुगतान हो सके।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नवीन छात्र/छात्रा को नामांकन शुल्क आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
7. यदि विद्यार्थी सत्र के बीच में अध्ययन छोड़ना चाहता/चाहती है तो उसकी सूचना कार्यालय को लिखित रूप में तुरन्त दे अन्यथा पूरे वर्ष का शुल्क लिया जायेगा।
8. (अ) नवीन प्रवेशार्थी अपने आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें:–

सत्यापित फोटो प्रतिलिपियाँ

1. (क) स्नातक कक्षा हेतु हाईस्कूल एवं उसके उपरान्त जो भी कक्षाएँ उत्तीर्ण की हों, उन सभी की अंक तालिकाएँ।
   (ख) स्नातकोत्तर कक्षा हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं स्नातक कक्षा की प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक तालिकाएँ।
2. जन्मतिथि प्रमाण – पत्र एवं आधार कार्ड।
3. प्रवेशार्थी ने जिस संस्था से अन्तिम कक्षा में संस्थागत रूप से अध्ययन किया हो, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
4. यदि प्रवेशार्थी किसी भी आरिक्षत वर्ग में हो तो तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण–पत्र।

5. यदि प्रवेशार्थी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कॉलिज में सेवारत/अवकाश प्राप्त केवल स्थायी प्राध्यापक एवं कर्मचारी की संतान है, तो तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रमाण–पत्र।
6. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री (अविवाहित) हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. यदि प्रवेशार्थी राष्ट्रीय/राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ी है, तो उस दशा में तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
8. अध्ययन में आए व्यतिक्रम के कारण का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र।
9. (अ) प्रवेश से सम्बन्धित अन्य प्रमाण–पत्र।
   (ब) नवीन प्रवेशार्थी साक्षात्कार के समय निम्न प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करें:–
      1. 7(अ) के अन्तर्गत सभी सत्यापित फोटो प्रतिलिपियों की मूल प्रतियाँ।
      2. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र।
      3. प्रवजन प्रमाण–पत्र।

10. प्रत्येक कक्षा के ऐसे प्रवेशार्थी जिनको नवीन प्रवेशार्थी की संज्ञा दी गई है, अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाकर उसकी 3 प्रतियाँ अपने पास रखें। एक फोटो प्रवेशार्थी अपने आवेदन–पत्र पर यथा स्थान चिपका दें। फोटो की दूसरी प्रति आचारण पत्र पर एवं तीसरी प्रति परिचय–पत्र पर यथास्थान चिपकाएँ।
11. प्रवेश आवेदन–पत्र में आवश्यक प्रविष्टियाँ भरने और आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करने के उपरान्त प्रवेशार्थी उसे कार्यालय में रू0 50.00 (पचास रूपये मात्र) देकर पंजीकरण हेतु जमा करा दें। कार्यालय उन्हें प्रवेश आवेदन–पत्र जमा कराने की एक रसीद देगा। रसीद पर जो संख्या लिखी होगी, वही पंजीकरण संख्या होगी। इस रसीद को प्रवेशार्थी सुरक्षित रखें।
12. (क) बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0कॉम0 प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश आवेदन–पत्र कॉलिज में दिनांक .... तक पंजीकरण शुल्क एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क रू0 250.00 (एक सौ पचास रूपये मात्र) सहित पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
   (ख) अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करने और प्रवेश पूर्ण होने की तिथियाँ डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रवेश नियामावली के अनुसार होगी। जिसकी जानकारी कॉलिज सूचना पट पर विद्यार्थियों को मिल जाएगी।
13. साक्षात्कार वाले दिन स्नातक कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष पासपोर्ट साइज के 3 फोटो के साथ उपस्थित होगा। वहाँ पर परिचय–पत्र एवं आचरण पत्रिका भरकर जमा करेगा, जहाँ उसके समस्त मूल पत्रों की जाँचकर प्रवेश समिति प्रवेश की संस्तुति करेगी। इसके उपरान्त प्रवेशार्थी अनुशासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेशार्थी मुख्य अनुशासन अधिकारी के कार्यालय में उपथित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायेगा।

14. यदि प्रवेशार्थी किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट विभाग में नियुक्त अथवा सेवारत है तो उसे वहाँ के नियोक्ता के अनुमति–पत्र की मूल प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। ऐसा न करने पर और बाद में पता चलने पर कि प्रवेशार्थी सेवारत है, प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना उसके नियोक्ता को दे दी जाएगी।
15. आवेदन–पत्र को ठीक तरह से भरना एवं प्रविष्टियों को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का है। अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन–पत्र विचारणीय नहीं होंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
16. प्रवेश अनुमन्य के बाद प्रवेशार्थी को कॉलिज शुल्क 1 दिन में जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
17. 15 दिन तक कक्षाओं में बिना अनुमति के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् पुनः प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।
18. यदि भूल से किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश अन्तिम गुणांक (मैरिट कांउट) से कम हो जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
19. निम्नलिखित कारणों से किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश वर्जित होगा और यदि भूलवश प्रवेश दे दिया गया है तो निरस्त कर दिया जाएगा।
    - (क) इस कॉलिज में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी होना।
    - (ख) अन्य महाविद्यालय द्वारा निष्कासन या प्रवेश की अस्वीकृति।
    - (ग) विश्वविद्यालय पर आई0पी0सी0 (भारतीय दण्ड विधान) अथवा सी0आर0पी0सी0 धाराओं के अन्तर्गत कोई मुकद्दमा होना अथवा मॉरल टर्पीटयूड के जुर्म के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना अथवा किसी शिक्षक, छात्र अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण निष्कासित किया जाना।
    - (घ) अन्य कोई कारण जो कॉलिज के मुख्य अनुशासन अधिकारी की दृष्टि में अनुचित हो।
20. कॉलिज में किसी भी कक्षा में प्रवेश देने अथवा न देने का तथा प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या को होगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

प्रवेश नियमावली

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रम/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान हैं तथा मा0 कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं।

–: सामान्य निर्देश :–

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका (Prospectus) तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

   (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य एवं आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा–श्रृवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टि बाधित के अन्तर्गत ही आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा हैं तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

   (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का शुल्क 200/– (दो सौ रूपये मात्र) नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रू0 225/– (दो सौ पच्चीस मात्र) लिया जायेगा।

   (द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की बेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा, जिस पर इच्छुक छात्रों का विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा महाविद्यालय को बेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

2. (अ) सत्र के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के 'त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष ''चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेंगे।

(ब) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 अगस्त के पश्चात नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकंगे, यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हों।

महाविद्यालय के खुलने की तिथि	–	01 जुलाई
स्नातक प्रथम वर्ष (सभी संकाय) पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	–	01 जुलाई
स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि	–	16 जुलाई
स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	–	05 अगस्त
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि	–	15 अगस्त
स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन–पाठन को प्रारम्भ करने की तिथि	–	01 सितम्बर

3. (अ) प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कॉलेज ''नोटिस बोर्ड'' पर लगा दी जायेगी। छात्राऐं तद्नुसार प्रवेश लें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली छात्र/छात्राओं को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित न हो।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठयक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगी।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रा पुनः संस्थागत छात्रा के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगी। ये भूतपूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगी।

(स) यदि छात्रा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उनकी अर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्या को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल अर्हता परीक्षा पाठयक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्या का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणीः–

दो वर्ष के अन्तराल (GAP) के छात्र/छात्राओं का ऑन लाइन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते समय महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।

(द) कला/वाणिज्य संकाय के ऐसी छात्राऐं जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्रा के रूप में प्रवेश ले चुकी हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगी।

''**यह प्रतिबन्ध उन छात्र/छात्राओं पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्रा के रूप** में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो, पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छूआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा न हो।''

प्राचार्य का प्रवेश के मामले में **राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़** विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे –

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even it he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith".

स्पष्टीकरण :–

उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता हैः–

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होंगी –
   1. बी0एस0–सी0 फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण
   2. बी0ए0सी0 लाइफ साइंस के लिए इण्टर मीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि विज्ञान में उत्तीर्ण।
   3. बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।
   4. बी0ए0/बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
   5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन द्वारा व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाए।
      (List of career Oriented vocational Courses offered by the C.B.S.E. at Senior Secondary Level Along with revised scheme of Studies)

(ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस–सी0 (कृषि) / बी0एस–सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 बोर्ड / समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइन्ट / मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:–

1. विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा, जिन छात्र / छात्राओं ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू0पी0 अलीगढ़ मण्डल तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा। जिन छात्र / छात्राओं ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू0पी0 अलीगढ़ मण्डल तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। किन्तु एम0एस–सी0 कृषि के प्रवेश के लिए हाई स्कूल की परीक्षा यू0पी0 अलीगढ़ मण्डल से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।
2. शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थानों से आने वाले छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र / छात्राऐं भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।
3. शासनादेश संख्या जी0आई0 35 / सत्तर 1–2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 ई0 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र / छात्राओं को 2 स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
4. भाग–2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग–1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।
5. विदेशी छात्र / छात्राओं को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति–पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

1. अधिष्ठाता – छात्र कल्याण
2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य–चक्रामानुसार
3. जिला मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के प्राचार्य द्वारा नामित–मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट – कोई भी महाविद्यालय एवं स्वतित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्र/छात्राओं को प्रवेश "प्रोवीजनल" भी नहीं देगा।

6. समय–समय पर दिये गये शासनादेश के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंको की गणना :

6. (क) स्नातक कक्षाएँ–

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करके।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम0ए0 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विशविद्यालय की बी0ए0 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित)

उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम0ए0 पूर्वाद्ध परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।

(ग) एम0कॉम0 पूर्वाद्ध परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी0कॉम0 त्रिवर्षीय परीक्षा है।

(घ) दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (ऑनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की हों।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षाएँ –

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए –

(क)	प्रथम विजेता होने के लिए	5 अंक
(ख)	द्वितीय विजेता होने के लिए	4 अंक
(ग)	तृतीय विजेता होने के लिए	3 अंक
(घ)	प्रतिभाग करने के लिए	2 अंक

एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट / जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को। 8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट / जी–1 प्रमाण–पत्र धारण केडिटों को। 6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीण नहीं की है। 3 अंक

3. स्वतत्रंता सेनानी के पुत्र / पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र / पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीण की हो।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए 5 अंक

(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए 4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए 3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिए 2 अंक

नोटः– **उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/ एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोबर्स–रंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स–रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।**

(ग) सभी कक्षायें–

1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बन्ध महाविद्यालयों से सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. कारगिल के ऑपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी –

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा। यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट– किसी अन्य की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त नियमों में यदि कोई संशोधन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है तो वह मान्य होगा।

कुलसचिव

अनुमोचन, विद्यार्थी सहायता कोष तथा छात्रवृत्तियाँ

(क) शुल्क-अनुमोचन

उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कॉलिज की छात्र संख्या के 17 प्रतिशत के लिए पूर्ण शुल्क मुक्ति का प्रावधान है। शुल्क–मुक्ति अधोलिखित नियमों के आधार पर की जाती है।

(अ) अर्हता

1. केवल वही छात्र/छात्राऐं शुल्क–मुक्ति के योग्य समझे जायेंगे, जिन्होंने विगत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, तथा उनका चरित्र एवं व्यवहार वर्ष भर संतोषजनक रहा हो।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्द्ध परीक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत से कम होने पर उत्तरार्द्ध कक्षा में पूर्ण शुल्क मुक्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा।

(ब) अयोग्यता

ऐसी छात्र/छात्रा जो निम्नलिखित किसी वर्ग में आती हैं वे शुल्क–मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

1. छात्र/छात्राऐं जिनको कोई अन्य सहायता मिल रही है।
2. अनुसूचित/पिछड़ी/सामान्य जाति के छात्र जिन्हें राजकीय छात्रवृत्ति मिलती हो।
3. गतवर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण/पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करते पाए गए छात्र।
4. ऐसे छात्र/छात्रा जो शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हैं या उनके विरूद्ध न्यायालय में निर्णय के लिए कोई मामला विचाराधीन है तथा अनुशासनहीनता में लिप्त छात्र।

(स) प्रक्रिया

1. शुल्क मुक्ति हेतु छात्रा आवेदन–पत्र कार्यालय से प्राप्त करें, यथा स्थान प्रविष्टियाँ भरकर उसे प्रवेश के समय ही कार्यालय में जमा कर दें।
2. छात्र/छात्राऐं आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवश्य लगाएँ –
   - (क) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका।
   - (ख) विगत संस्था में छात्रवृत्ति/शुल्क–मुक्ति, यदि प्राप्त की हो तो उसका प्रमाण–पत्र।
   - (ग) खेल/साहित्य/सामाजिक विशेष योग्यता प्रमाण–पत्र।
   - (घ) पिता/संरक्षक की जो आय निम्नलिखित में से किसी एक स्रोत अथवा अधिक स्रोतों से हो, उसके/उनके सामने अंकित प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि।

आय स्रोत प्रमाण–पत्र (मूल प्रतिलिपि)

1. मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित–तत्सम्बन्धी आहरण पदाधिकारी/राजपत्र अधिकारी/अन्य
2. खेती एवं पशु – तहसीलदार/कानूनगो/ब्लॉक प्रमुख
3. व्यवसाय – बिक्रीकर विभाग/नगरपालिका/टाउन एरिया/ग्राम सभा के अधिकारी/ मालिक दुकान / किराया/रसीद/ठेकेदार तहबाजारी

शुल्क मुक्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों पर निर्णय उन पर प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर एक शुल्क अनुमोचन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) विद्यार्थी सहायता कोष

निर्धन छात्र/छात्राओं की सहायता के लिए विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार सहायता मिल सकती है :–

1. निर्धन छात्र/छात्राओं को पुस्तकें, वस्त्रों, औषधियों तथा शुल्क में कमी आदि के लिए सहायता की जाएगी, नगद में नहीं।
2. सहायता देते समय विगत वर्ष के परीक्षा परिणामों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
3. परिगणित और अनुसूचित जातियों के छात्र इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
4. ऐसे विद्यार्थी जो अध्ययन के लिए कॉलिज या सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता ले चुके हैं, उन्हें सामान्यतः कोई सहायता नहीं दी जाएगी। भ्रामक सूचना के आधार पर स्वीकृत सहायता तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। छात्र का उचित पात्र होना आवश्यक है।
5. अनुशासनहीन विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जायेगी।
6. सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता अधिकतम छः माह की ट्यूशन फीस के बराबर होगी।

(ग) छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त

1. अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति
2. परिगणित छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी अथवा उत्कृष्ट द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए)
3. विकलांग छात्रवृत्ति (केवल डॉक्टरी प्रमाण–पत्र आधार पर)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त

1. ऋण/छात्रवृत्ति 55 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों के लिए ही देय होगी।

2. योग्यता छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय योग्यता क्रम के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णित)।
3. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति (केवल प्राध्यापकों की संतान के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णित)।
4. निर्धनता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णित)।
5. स्वतंत्रता सेनानी छात्रवृत्ति (कारावास सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर जिलाधिकरी द्वारा प्रदत्त।
6. छात्रवृत्ति (जिला संहिता की धारा 271 तथा 273 के आधार पर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्णित)।
7. सेना छात्रवृत्ति (सैनिकों की संतान के लिए सैनिक निदेशालय द्वारा प्रदत्त)।
8. उत्तर प्रदेश युद्धोपरान्त सेवा छात्रवृत्ति (सैनिकों की संतान के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त)।
9. राज्यपाल निधि छात्रवृत्ति (केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए)।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त

1. धन एवं पुस्तक सहायता छात्रवृत्ति
2. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह छात्रवृत्ति

टिप्पणीः विभिन्न छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के समय ही कॉलिज के लेखा विभाग में छात्रवृत्ति सहायक से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन-पत्र जमा करें।

3. शुल्क – अनुमोचन एवं विद्यार्थी सहायता कोष के प्रार्थना–पत्र पर एक साथ ही कॉलिज द्वारा आमन्त्रित किए जाएगें तथा एक समिति द्वारा एक साथ दोनों सहायता आवेदन–पत्रों का निर्णय किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पूर्ण शुल्क–मुक्ति (शिक्षण शुल्क) से अधिक का लाभ देय नहीं होगा।

छात्र/छात्राओं द्वारा ध्यान देने तथा पालन करने हेतु नियम

(क) अनुशासन विभाग

छात्र/छात्राओं में अनुशासन, शिष्टाचार एवं आत्मसंयम की भावना का विकास करने के लिए कॉलिज में अनुशासन विभाग है। इस विभाग का संचालन एवं निर्देशन मुख्य अनुशासन अधिकारी की देख–रेख में होता है। मुख्य अनुशासन अधिकारी की सहायता के लिए एक अनुशासन समिति गठित की जाती है।

कॉलिज में अनुशासन नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है। छात्र/छात्राओं द्वारा अनुशासन सम्बन्धी सभी समस्याऐं मुख्य अनुशासन अधिकारी को ही सूचित की जायें जिनका वह उचित निराकरण करेंगे। मुख्य अनुशासन अधिकारी छात्र/छात्राओं को कॉलिज परिसर के अतिरिक्त शहर में किए गए आचरण पर भी निर्ण देने के अधिकारी है।

कॉलिज में परिचय–पत्र लेकर आना अनिवार्य है। किसी भी समय अनुशासन मण्डल या अन्य शिक्षक द्वारा परिचय पत्र मांगा जा सकता है। इसके न होने पर दंडित किया जा सकता है। परिचय–पत्र की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का है। परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में रू0 50/– के साथ एक फोटो जमा करने पर ही दिया जा सकेगा। अनुशासन नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी भी छात्र/छात्रा को कॉलिज से प्राचार्य द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

(ख) शिष्टाचार सम्बन्धी सामान्य नियम

1. कॉलिज परिसर में विद्यार्थियों को गुटखा, पान, तम्बाकू, धूम्रपान या कोई मादक पदार्थ सेवन करना पूर्णरूप से वर्जित एवं दंडनीय है।
2. कॉलिज परिसर में छात्र/छात्रों से वार्तालाप संयमित एवं मृदु होना चाहिए।
3. कक्षाओं के द्वार पर अथवा बरामदे में छात्र/छात्रा तेज स्वर में वार्तालाप न करें।
4. कॉलिज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शालीनता पूर्ण वार्ता एवं व्यवहार सर्वथा अपेक्षित है।
5. केवल आवश्यक कार्य से छात्र/छात्राऐं कार्यालय कक्षा में पूर्वाज्ञा से जाएं।
6. कॉलिज के सभी छात्र/छात्राऐं अपने खाली समय में बाहर बरामदे में या कॉलिज प्रांगण में न घूमें और न जोर से बातें करें। छात्र/छात्राऐं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें या छात्र लॉन में बैठें तथा छात्राऐं खाली समय में छात्रा–कक्ष में बैठें।
7. छात्र/छात्रों को निर्धारित परिधान में ही कॉलिज आना अपेक्षित है।
8. दीवारों, श्यामपटों या शौचालयों में गन्दे शब्द लिखना दंडनीय है।
9. कॉलिज की सम्पत्ति के सदुपयोग, रख–रखाव एवं सुरक्षा का भार विद्यार्थियों पर है। यदि कोई छात्र/छात्रा बाहरी व्यक्ति उसे हानि पहुंचाए तो एक प्रबुद्ध छात्र के नाते उसकी सूचना तुरन्त कॉलिज प्रशासन को दें।

10. छात्र/छात्राओं के संरक्षक अथवा उनके परिवार के सदस्य बिना अनुशासन अधिकारी की पूर्व अनुमति के कक्षाओं के दौरान अथवा कॉलिज में छात्र/छात्राओं से नहीं मिल सकेंगे। अनुशासन अधिकारी यदि उचित समझेंगे तो अनुशासन कार्यालय में छात्र/छात्राओं को बुलाकर उनसे मिलने की अनुमति देंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं बाहरी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11. कॉलिज में कक्षाओं के दौरान कॉलिज के मुख्य द्वार के सामने साइकिल अथवा अन्य वाहन खड़ा करना दंडनीय है। ऐसी स्थिति में वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर भेज दिया जायेगा और सांय 5 बजे के उपरान्त रू0 250/– (दो सौ पचास मात्र) दण्ड शुल्क जमा करने एवं आवश्यक कार्यवाही के बाद ही वाहन प्राप्त किया जा सकेगा।

12. साइकिल स्टैण्ड के कर्मचारियों के साथ सभी छात्र/छात्राऐं सद्भावना पूर्ण व्यवहार करेंगी तथा निर्दिष्ट स्थान पर ही वाहन खड़ा करेंगे और अनावश्यक रूप से साइकिल स्टैण्ड पर खड़े नहीं होंगे। बिना ताले की साइकिल व अन्य वाहन को साइकिल स्टैण्ड पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार रैगिंग को पूर्णतया वर्जित कर दिया गया है। रैगिंग करने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय से पूर्णतया निष्कासित कर दिया जाएगा।

(ग) आचार संहिता

1. छात्र/छात्रों को कक्षाओं में नियमित एवं ठीक समय पर उपस्थित होना चाहिए।
2. कॉलिज में शान्ति बनाए रखेंगे।
3. सूचना पट पर ही छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित सूचनाएँ दी जायेंगी, उनको ध्यान से पढ़ेंगे।
4. किसी भी दशा में कॉलिज की व्यवस्था को भंग न किया जाए।
5. छात्र/छात्र किसी हड़ताल में शामिल न हों।
6 छात्र/छात्र कॉलिज में कोई हैण्डबिल/पैम्पलेट आदि न तो वितरित करेंगे और न ही किसी कार्य हेतु चन्दा एकत्रित करेंगे।
7. छात्र/छात्रा किसी भी जाति/धर्म/भाषा/प्रान्त/राजनीतिक दल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं करेंगी। वह मानवता और मानव–प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे, जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
8. कॉलिज परिसर का कोई भाग छात्र/छात्रा पोस्टर चिपकाने तथा दीवारों पर लिखने आदि के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
9. छात्र/छात्रा अपना परिचय–पत्र कॉलिज अथवा कॉलिज के बाहर हर समय अपने साथ रखेंगे तथा किसी भी शिक्षक द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेंगे।
10. अन्य संस्थाओं के छात्रों अथवा अवांछनीय तत्वों का कॉलिज में आना या लाना

वर्जित है।

11. छात्र/छात्रा खोई हुई वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त अनुशासन अधिकारी के पास जमा करेंगे।
12. सभी छात्र/छात्रा स्वतंत्रता–दिवस और गणतंत्र–दिवस पर कॉलिज में आयोजित समारोह में भाग लेंगे।

(घ) चरित्र प्रमाण–पत्र

1. चरित्र सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने या अधिकारी केवल वह छात्र/छात्रा होगें जो कॉलिज में न्यूनतम छः माह की अध्ययन–अवधि पूर्ण कर चुके हो।
2. छः माह में केवल एक बार ही छात्र/छात्रा चरित्र प्रमाण–पत्र ले सकते है।
3. सामान्यतः चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन देने के तीसरे दिन दिया जाता है। यदि कोई छात्र/छात्रा अतिशीघ्र अर्थात 24 घण्टे में यह प्रमाण–पत्र चाहता है, तो उसे 200 रूपये कार्यालय में जमा करने होंगे।

(ड़) रेल अथवा बस किराया अनुमोचन

घर जाने के लिए रेल/बस किराया अनुमोचन कॉलिज के ग्रीष्म अवकाश के समय प्रवेश आवेदन–पत्र पर अंकित घर पते पर दिया जाएगा, अन्य पते पर नहीं।

(च) कार्यालय नियम

छात्र/छात्राओं को सामान्यतः 10 बजे से 3 बजे तक कार्य दिवस में कार्यालय सहायक से सम्पर्क करने की अनुकत है। इसके अतिरिक्त अनुमति लेकर ही मिलें।

(छ) छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य परिधान – ड्रेस

1. सभी छात्र/छात्राओं को सफेद सलवार, आसमानी सफेद चैक रंग का कुर्ता सफेद दुपट्टा होगा। जाड़े के दिनों में इसके ऊपर केलव नीला स्वेटर या कोट ही पहनकर आयें।
2. परिधान में न आने पर छात्र/छात्राओं को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा प्रतिदिन रू0 50/– दण्ड होगा।

(ज) परीक्षा के दौरान भी छात्र/छात्राओं के लिए परिधान अनिवार्य है।

विशिष्ट योजनाएँ

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की चहुँमुखी उन्नति करना है। अतः कॉलिज में जहाँ अध्ययन एवं शोध–कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ भी कार्यान्वित की गई है।

(क) पुस्तकालय और वाचनालयः– पुस्तकालय के सामान्य नियम निम्न हैंः–

1. सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कालय का सदस्य बनने के लिए आवेदन–पत्र भरना होगा। विद्यार्थी आवेदन–पत्र पुस्तकालय काउन्टर से एक रू0 देकर प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय–कार्ड अपना परिचय–पत्र दिखाने पर मिलेगा। कार्ड खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को दें। डुप्लीकेट कार्ड पाँच रूपये जमा करने पर बनेगा। खोये कार्ड पर यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक ले गया है तो उसकी जिम्मेदारी कार्ड धारक विद्यार्थी की होगी।
2. पुस्तकालय से पुस्तक, कार्ड पर केवल 15 दिनों के लिए पढ़ने को मिलेगी। इस अवधि के बाद पुस्तक सुरक्षित नहीं लौटाने पर 1 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। यह विलम्ब शुल्क माफ नहीं किया जायेगा।
3. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों आदि की सुरक्षा का दायित्व ग्रहीता विद्यार्थी पर ही होगा। अतः पुस्तक लेते समय उसे खोलकर देख लें, कि कहीं कोई पृष्ठ गायब या कटा–फटा तो नहीं हैं। लौटाते समय अपूर्ण या फटी हुई पुस्तक स्वीकार नहीं होगी।
4. पुस्तकालय भवन में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थी अपनी निजी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री पुस्तकालय के काउन्टर पर जमा कर दें तथा जाते समय ले लें।
5. पुस्तकालय कार्ड वर्ष के अन्त में पुस्तकालय को लौटाना होगा।
6. पत्र–पत्रिकाएँ तथा अध्ययन कक्ष में अध्ययन हेतु पुस्तकें परिचय–पत्र जमा करने पर प्राप्त हो सकेंगी, बिना अनुमति के पुस्तक या पत्रिकाऐं ले जाना दंडनीय होगा।
7. पुस्तकालय कार्ड अहस्तान्तरणीय है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी उत्तरदायी होने के साथ ही दण्ड के भागी होंगे।

(ख) बुक बैंक :– इस योजना के सम्बन्धित विस्तृत नियमावली पुस्तकालय के बुक–बैंक विभाग से प्राप्त की जा सकती है। बुक–बैंक से विद्यार्थी पुस्तकों के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत धन सुरक्षा राशि जमा करके पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक वापिस करने पर 15 प्रतिशत धनराशि काटकर शेष विद्यार्थी को वापिस कर दी जायेगी।

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) :– विद्यार्थियों में अध्ययन के साथ–साथ समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना व देश–प्रेम जाग्रत करने एवं समाज के कार्यों को करने की शिक्षा देने के उद्देश्य से यह योजना शिक्षक अधिकारी के

निर्देशन में कार्य कार्य करती है। इस योजना में विद्यार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, बाढ़ समस्या, गाँव की सफाई, नालियों, सड़कों आदि का निर्माण एवं रख–रखाव करना तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में समाज की सेवा करना आदि क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो स्नातक कक्षाओं के 2 वर्ष में 120 घण्टे प्रतिवर्ष का सेवा कार्य पूर्ण कर लेंगे।

(घ) रोवर्स/रेन्जर्स :– महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में देश–प्रेम, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने, ज्वलन्त सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से रोवर्स/रेन्जर्स इकाइयों का संचालन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के आधार पर किया जाता है। स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र रोवर्स एवं छात्राएँ रेंजर के रूप में इसके सदस्य बन सकते हैं। उ0प्र0 सरकार ने विभिन्न सरकारी नौकरियों में रोवर्स/रेंजर प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए हैं। साथ ही प्रमाण–पत्र धारक छात्र/छात्राओं को विविध कक्षाओं में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंक भी प्रदान किए जाते हैं।

(ड़) क्रीड़ा :– कॉलिज में लगभग सभी ''आउटडोर और इनडोर गेम्स'' का समुचित प्रबन्ध है।

1. कालेज में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बॉलीबाल, कबड्डी, बास्केटबाल, खो–खो, बैडमिन्टन, एथलेटिक्स तथा टेबिल टेनिस खेलों का समुचित प्रबन्ध है। अच्छे खिलाड़ियों को खेल में प्रोत्साहन हेतु प्रेरित किया जाता है।
2. विश्वविद्यालय की अन्तर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम के सदस्यों को ड्रेस इत्यादि की सुविधा दी जाएगी।

(च) अन्य सुविधाऐं :–

1. स्वच्छ पेयजल	2. जेनरेटर/बिजली की व्यवस्था
3. विशाल पुस्तकालय	3. सुसज्जित प्रयोगशालाएं
5. कुशल, योग एवं अनुभवी स्टाफ	6. तम्बाकू व पोलीथीन रहित कैम्पस

(छ) चिकित्सा परामर्श सुविधा :–

महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं को प्रबंध समिति की ओर से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा स्वास्थ्य सुधार व सुरक्षा हेतु शिविर कैम्प प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा कालेज प्रांगण में समय–समय लगाये जाते हैं।

श्री महेन्द्रपाल शास्त्री महाविद्यालय

(सम्बद्ध- राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़)

अलीगढ़ - 202 001

प्रवेश आवेदन पत्र 20....-20....

कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है [ ] आवेदन-पत्र संख्या [ ]

कार्यालय प्रयोग हेतु

पंजीकरण संख्या ------------

दिनांक ------------

हस्ता. पंजीकरणकर्ता

1. प्रवेशार्थी जिस वर्ग में आता है, उसके सामने (√) निशान लगाएँ

अ. सामान्य वर्ग [ ] ब. अनुसूचित जाति [ ]

स. अनु. जनजाति [ ] द. पिछड़ी जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग [ ]

य. विकलांग [ ] र. कश्मीरी विस्थापित [ ]

2. स्नातक स्तर पर विषय ....

अ. स्नातक (कला, विज्ञान) स्तर पर अनिवार्य विषय :

1. शारीरिक शिक्षा 2. राष्ट्रगौरव पाठ्यक्रम 3. पर्यावरणीय अध्ययन (Environmental Studies)

ब. कला संकाय के प्रवेशार्थियों को हिन्दी भाषा (HL) या सामान्य अंग्रेजी (GE) में से कोई एक विषय [ ]

स. प्रार्थित ऐच्छिक विषय : प्रथम वर्ष के कला संकाय के प्रवेशार्थियों को कोई तीन विषय लेने हैं तथा विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी को तीन विषयों का उपलब्ध कोई एक विषय-समूह लेना है।

बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र)

बी.एस-सी. (बायो ग्रुप-प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान); मैथ ग्रुप-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)

फोटो अवश्य चिपकाएँ

1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

3. प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में) श्री/कु./श्रीमती ....

(अंग्रेजी में) Shri/Km./Smt. ....

4. (अ) पिता का नाम .... (ब) माता का नाम ....

5. जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)..

6. राष्ट्रीयता.................................... 7. धर्म .... 8. जाति ....

9. व्यवसाय .... 10. मासिक आय ....

11. यदि पिता कहीं सेवारत हैं तो पद/संस्था का नाम ....

12. स्थायी पता ....

आवेदक का ई-मेल पता.................................... मोबा./दूरभाष नं. ....

13. गत शैक्षिक विवरण (अंक तालिका/प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :

परीक्षा का नाम		वर्ष	विद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	अनुक्रमांक	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल									
इंटरमीडिएट									
बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम.	I								
	II								
	III								
अन्य									

अंग्रेजी में हस्ताक्षर [ ] हिन्दी में हस्ताक्षर [ ] अंगूठा निशानी [ ]

14. संरक्षक का नाम (पिता के जीवित न होने की दिशा में) ....

15. पत्र-व्यवहार का पता ....

....मोबा/दूरभाष नं. ....

16. पूर्व संस्था जहाँ अन्तिम शिक्षा पायी है..

17. क्या आपके माता / पिता राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ या उसके किसी संबद्ध महाविद्यालय के स्थायी सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी है?

चिन्हित (√) करें । हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हाँ तो विवरण दें एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

1. माता / पिता का नाम .... पद का नाम ....

2. संस्था का नाम...

प्रवेशार्थी का शपथ पत्र

1. मैं शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अवांछनीय कार्य-कलाप में संलग्न नहीं रहा/रही हूँ और न नकल करते समय पकड़ा गया/गई हूँ। मैं महाविद्यालय में अपने सम्पूर्ण अध्ययन काल में अपना व्यवहार उचित रखूँगा / रखूँगी, किसी भी अवांछनीय कार्य-कलाप में भाग नहीं लूँगा/लूँगी और अनुशासन में रहकर नियमित रूप से विद्याध्ययन करूँगा/करूँगी। यदि मैं इस घोषणा-पत्र की अवज्ञा करूँ तो विश्वविद्यालय के तत्सम्बन्धी नियमों के अनुकूल निष्कासन अथवा अन्य दण्ड का भागीदार बनूँगा/बनूँगी।
2. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएँ सही हैं और मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि सूचना सही न पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. मैं किसी संक्रामक रोग या किसी ऐसी व्याधि से ग्रसित नहीं हूँ जिसके छात्रों में फैलने या जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।
4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी प्रतिबंधित संस्था का/की सदस्य नहीं हूँ, न मुझ पर किसी भी न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है जिससे राजदंड का/की भागी बनूँ और न मुझे किसी न्यायालय द्वारा किसी अभियोग में दंडित किया गया है। मेरे विरुद्ध पुलिस में जघन्य अपराध की कोई रिपोर्ट नहीं है।
5. मैं विश्वविद्यालय स्तर की समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं प्रयास करूंगा/करूंगी।
6. मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में वर्णित सभी तथ्यों एवं नियमों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है, तथा मुझे सभी नियम स्वीकार हैं।

दिनांक .... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..

पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र

मैं एतद्द्वारा यह विश्वास दिलाता हूँ और प्रतिवेदित करता हूँ कि अपने पुत्र/पुत्री/पत्नी/आश्रित..को कक्षा .... में प्रवेश देने की स्थिति में उसके संपूर्ण अध्ययन काल में अनुशासित और सद्व्यवहारी रहने का उत्तरदायी हूँ तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में महाविद्यालय से उसका निष्कासन या अन्य उपयुक्त दंड दिए जाने पर मुझको आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक .... अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर ....

✱ संलग्नकों का विवरण जो हो उन पर अभ्यर्थी द्वारा सही का चिन्ह लगाया जाए या विवरण दिया जाए (सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें, अन्यथा प्रमाण-पत्रों की संलग्नता मान्य नहीं होगी)

1. हाईस्कूल अंक तालिका	☐	9. विकलांगता का प्रमाण-पत्र	☐
2. इंटरमीडिएट अंक तालिका	☐	10. अतिरिक्त योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र	
3. स्नातक (प्रथम वर्ष) अंक तालिका	☐	अ.	☐
4. स्नातक (द्वितीय वर्ष) अंक तालिका	☐	ब.	☐
5. स्नातक (तृतीय वर्ष) अंक तालिका	☐	स.	☐
6. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र	☐	द.	☐
7. चरित्र प्रमाण-पत्र	☐	य.	☐
8. आरक्षित जाति प्रमाण-पत्र	☐	11. अन्य	☐
		कुल संलग्नकों की संख्या	☐

दिनांक.............................. हस्ताक्षर प्रवेश समिति प्रभारी

✱ सभी संलग्नकों पर आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर भी अवश्य अंकित करें।